न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 55 / 2018

रामस्वरूप वल्द मुकन्दा कौम अहीर, साकिन निहालोठ तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

1. रामप्रताप वल्द मुकन्दा, कौम अहीर साकिन निहालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
2. विजय सिंह वल्द मुकन्दा, कौक अहीर, साकिन निहालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

— रेसपोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटी एक्ट 1955 निर्णय बअदालत तहसीलदार बुहाना राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 बाबत आपसी सहमति से खाता विभाजन प्रार्थीगण रामप्रताप, रामस्वरूप, विजय सिंह कमांक 4 आदेश दिनंक 28.05.2018 ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल एडवोकेट ———— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ——— रेस्पोंडेंटस की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 08.08.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2018 बअदालत तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अपीलांट व रेस्पोडेंटस ने अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के यहां राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में दिनांक 28.05.2018 को जमीन हाल खसरा नंबर 172, 414, 516 तथा खसरा नंबर 401, 417, 419, 422 तथा खसरा नंबर 410 तथा खसरा नंबर 59,405,426 सरहद मौजा निहालोठ तहसील बुहाना का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने हेतु आवेदन

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत ने अपीलांट व रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र को सहमति के आधार पर दिनांक 28.05.2018 को स्वीकार किया । अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस ने जो आवेदन पत्र व विभाजन हेतु जो नक्शा पेश किया वह सही रूप से नहीं बना और मुताबिक भौतिक कब्जे के नहीं बना। अपीलांट गत 10 वर्षों से बीमार है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। अपीलांट राजस्व रिकार्ड व नक्शे को नहीं समझता है। अपीलांट ने खाता विभाजन के आवेदन पत्र पर रेस्पोडेंटस ककहने से हस्ताक्षर किये थे। नक्शा व आवेदन पत्र में प्रस्तावित विभाजन को अपीलांट समझ नहीं पाया न अपीलान्ट को समझाया गया। पटवारी हल्का ने भी तथाकथित बंटवारे के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त होने की रिपोर्ट गलत दी है। पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक व अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने भौतिक कब्जे काश्त की बिना जांच किये आवेदन पत्र स्वीकार करने में कानूनी गती की है। अदालत मातहत ने राजस्थान टेनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यू नियम 1955 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। रास्ते का प्रावधान नजरअंदाज किया गया है। खसरा नंबर 426 (426/1) का उतरी भाग अपीलांट को दिया गया । खसरा नंबर 422 अपीलांट को दिया गया। खसरा नंबर 422 से खसरा नंबर 426/1 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 426/2 में से रास्ता छोड़ा जाना चाहिये था जो नहीं छोड़ा गया है। खसरा नंबर 426 में अपीलांट को 1/2 हिस्सा दिया गया है, जबकि उसका मौके पर ज्यादा जमीन पर कब्जा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 419 व 405 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है व रहा है जबकि उसका मौके पर ज्यादा जमीन पर कब्जा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 419 व 405 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है व रहा है जबकि विभाजन प्रस्ताव में उक्त भूमि अपीलांट को नहीं दी गई और रेस्पोडेंट रामप्रताप को दे दी गई। खसरा नंबर 410 को अपीलांट व रेस्पोडेन्टस बहिस्सा बराबर काश्त करते हैं जो अकेले अपीलांट को दे दी गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 59 में अपीलांट 1/3 हिस्से पर काबिज है जब कि उसे आपसी विभाजन में 1/2 हिस्सा दे दिया गया । आपसी सहमति विभाजन आवेदन पत्र मुताबिक भौतिक काब्जे काश्त के तैयार नहीं हुआ और भौतिक कब्जे की जांच करवाये बिना ही गलत रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। मौके की जांच करने व

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

विभाजन के वक्त रास्ते के प्रावधान के मुताबिक रास्ता छोड़ने का दायित्व अदालत मातहत का था। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने व पटवारी हल्का व गिरदावर ने विभाजन प्रस्ताव आवेदन पत्र व संलग्न नक्शा में दर्शित जमीन की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और इस कारण गलत स्प से आवेदन स्वीकार हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत कब्जे की भौतिक स्थिति की जांच करवाकर मौके पर रास्तों की व्यवस्था कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जमीन का विभाजन करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस ने जो आवेदन पत्र व विभाजन हेतु जो नक्शा पेश किया वह सही रूप से नहीं बना और मुताबिक भौतिक कब्जे के नहीं बना। अपीलांट गत 10 वर्षों से बीमार है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। अपीलांट राजस्व रिकार्ड व नक्शे को नहीं समझता है। अपीलांट ने खाता विभाजन के आवेदन पत्र पर रेस्पोडेंटस ककहने से हस्ताक्षर किये थे। नक्शा व आवेदन पत्र में प्रस्तावित विभाजन को अपीलांट समझ नहीं पाया न अपीलान्ट को समझाया गया। पटवारी हल्का ने भी तथाकथित बंटवारे के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त होने की रिपोर्ट गलत दी है। पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक व अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने भौतिक कब्जे काश्त की बिना जांच किये आवेदन पत्र स्वीकार करने में कानूनी गती की है। अदालत मातहत ने राजस्थान टेनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यू नियम 1955 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। रास्ते का प्रावधान नजरअंदाज किया गया है। खसरा नंबर 426 (426/1) का उतरी भाग अपीलांट को दिया गया । खसरा नंबर 422 अपीलांट को दिया गया। खसरा नंबर 422 से खसरा नंबर 426/1 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 426/2 में से रास्ता छोड़ा जाना चाहिये था जो नहीं छोड़ा गया है। खसरा नंबर 426 में अपीलांट को 1/2 हिस्सा दिया गया है,

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

जबकि उसका मौके पर ज्यादा जमीन पर कब्जा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 419 व 405 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है व रहा है जबकि उसका मौके पर ज्यादा जमीन पर कब्जा है। इसी प्रकार ख़सरा नंबर 419 व 405 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है व रहा है जबकि विभाजन प्रस्ताव में उक्त भूमि अपीलांट को नहीं दी गई और रेस्पोडेंट रामप्रताप को दे दी गई। खसरा नंबर 410 को अपीलांट व रेस्पोडेन्टस बहिस्सा बराबर काश्त करते हैं जो अकेले अपीलांट को दे दी गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 59 में अपीलांट 1/3 हिस्से पर काबिज है जब कि उसे आपसी विभाजन में 1/2 हिस्सा दे दिया गया । आपसी सहमति विभाजन आवेदन पत्र मुताबिक भौतिक काब्जे काश्त के तैयार नहीं हुआ और भौतिक कब्जे की जांच करवाये बिना ही गलत रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जावे तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1978 पेज–11 चिमन बनाम इस्लाम खान प्रस्तुत किया ।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट्स ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के दौरान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की शामलाती भूमि का उनकी आपसी सहमति से हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा भौतिक कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे के तैयार कर प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 28.5.2018 स्वीकृत किया गया है और उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया है। कानूनन राजस्व लोक अदालत में काश्तकारों की आपसी सहमति के आधार पर हुये विभाजन के विरूद्ध अपील नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में भौतिक कब्जे के आधार पर ही अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 28.05.2018 को स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0 आर0 डी0 1978 पेज–11 चिमन बनाम इस्लाम खान का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के दौरान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की शामलाती भूमि

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

का हल्का पटवारी एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा भौतिक कब्जे के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे के तैयार कर खातेदार काश्तकारों के आपसी सहमति के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 28.5.2018 स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। राजस्व लोक अदालत में काश्तकारों की आपसी सहमति के आधार पर हुये विभाजन के विरूद्ध बिना किसी विधिक त्रुटि के अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को अगर उक्त विभाजन प्रस्तात से रास्ते आदि को लेकर किसी प्रकार की शिकायत है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट में कोई बल प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार बुहाना का उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू